IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(100)जैवविविध/विधि/पंरा/2012/3304 दिनांक :10.01.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की समस्त ज़िला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव पारित किया जाकर जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित किये जाने के लिए इन संस्थाओं की स्थायी समितियों में से धारा–55–क:(1)(ग) में वर्णित "विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम जिनमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग और सहबद्ध विषयों सहित सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय" समिति को जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 23(2) के तहत जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया था।

उपरोक्तानुसार पारित किये गये तीनों स्तर की संस्थाओं के प्रस्तावों की प्रतियां पांच दिवस के भीतर आवश्यक रूप से जरिए ई–मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि प्रिंसीपल बेंच, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 347 of 2016 में दिनांक 09.8.2019 को पारित आदेश की पालना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा भिजवाई जा सके।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्लॉट नं0 7, द्वारिका पुरी, जमना लाल बजाज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ।
4. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

Scanned by CamScanner